

8/12/20

पत्रावली पैदा हुई। बकुलार फाकिन उप०।
प्रार्थना पत्र प्रार्थी वाला आर्थिक विषयों में
लाभित होने पर स्वीकार किया जाता है।
व प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स० ७ काउन्टर टी० ऑफिस
में लाभित न होने पर वापिस किया जाता
है। निर्णय पृथक् से संकेत करवाया जाकर
सरे इजलास हुनाभा गभा व शामिल मिसल
किया गया। पत्रावली निर्णय सुमाट दीकर
नम्बर ले दीकर दाखिल कर रहे हैं।

१५

